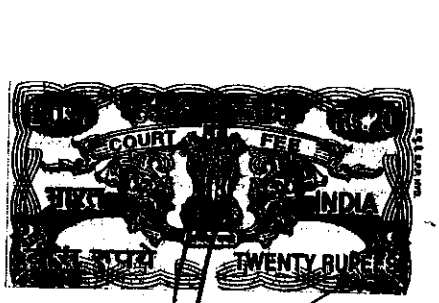

(113)

निगरानी प्र. कमांक– /2017

प्रस्तुत दिनॉक 26/07/2017

न्यायालय–माननीय राजस्व मंडल महोदय, राजस्व न्यायालय, ग्वालियर (म.प्र.) वृत्त इन्दौर के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2017/2918

गोकुलसिंह पिता भगवानसिंह
आयु–वयस्क धंधा–खेती
निवासी–ग्राम मुकाता तह. सावेर जिला इन्दौर ....आवेदक/प्रतिप्रार्थी

विरूद्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री .... द्वारा
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 28-07-2017
को प्रस्तुत।

बाबूलाल पिता सोमाजी
आयु–वयस्क धंधा–खेती
निवासी–ग्राम मुकाता तह. सावेर 520 28-07-2017
जिला इन्दौर (म.प्र.)

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

...........अनावेदक/प्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदक/प्रतिप्रार्थी की ओर से यह निगरानी निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है कि –

यह निगरानी माननीय अधीनस्थ न्यायालय, कार्यालय नायब तहसीलदार तहसील सावेंर जिला इन्दौर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण कमांक–11/अ–13/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2017 के अनुसार परम्परागत रास्ता पाये जाने के संबंध में व्यथित होकर यह निगरानी निम्न आधारो पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हैं।

XXXIX(a)-BR (H)-10

(13)

3/1371/01 पं

(6)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक PBR/निग्रा/इंदौर/प्र.अ./2017/2918

जी/कुलदीपसिंह विरुद्ध श्री/इलमान

तहसील आंबा जिला इंदौर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.............. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक..........

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.............. तहसील का प्रकरण क्रमांक..........

वाद का विषय ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला ... निप ... संभाग ... के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. 20/4/17 के विरुद्ध श्री .... के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/नहीं है/मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.......... ....रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/नहीं है। अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/नहीं दिया है। प्रस्तुतकार	
19.9.2017	आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। अध्यक्ष	Noted 19/9/17 23/8/17

[पीछे देखिये